**Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.**
**(Formerly RSBCC Ltd.)**
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
***Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004***
**LC**

**B-19(35)LC/RTPP/20/** 10216 **Date:-** 18-09-2020

अतिआवश्यक

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
**इकाईः— विद्युत—प्रथम, जयपुर।**

**विषयः**— प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रथम अपील 35/2020, मैसर्स देवदशरथ माईन्स एण्ड मिनरल्स बनाम परियोजना निदेशक, इकाई — उदयपुर, आर.एस.आर.डी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 18.09..2020 आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2020 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि विभाग को देने का श्रम करें।

भवदीया,

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

18/9/2020
(रूचि अग्रवाल)
वरिष्ठ विधि अधिकारी

# कार्यालय प्रथम अपील प्राधिकारी – महाप्रबन्धक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर

अपील संख्या 35 /2020

मैसर्स देवदशरथ माईन्स एण्ड मिनरल्स

**बनाम**

परियोजना निदेशक यूनिट – उदयपुर, आर.एस.आर.डी.सी.

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – प्रतिनिधि श्री अधिवक्ता डेविड महला
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – उदयपुर, आर.एस.आर.डी.सी.लि.

## निर्णय

दिनांक :– 18.09.2020

यह कि आर.एस.आर.डी.सी. मुख्यालय द्वारा अल्प ई निविदा सूचना संख्या 71/2020–21 उदयपुर सलुम्बर टोल रोड पर 24 माह की अवधि के लिए टोल संग्रहण हेतु दिनांक 23.06.2020 को जारी कर निविदा आमंत्रित की गई।

यह कि आंमत्रित निविदा के लिए यह सूचित किया गया कि निविदा कर्ता निविदा में वर्णित सूचना में वर्णित प्रक्रिया एवं शर्तो की पालना कर निविदा प्रपत्र को वेवसाईट पर दिनांक 25.06.2020 प्रातः 9 बजे से दिनांक 01.07.2020 सायं 6 बजे तक डाउनलोड कर सकते है, एवं इसके लिए परियोजना निदेशक कार्यालय में निविदा कर्ता द्वारा दिनांक 25.06.2020 से 01.07.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में 11 बजे पूर्वाह से 4 बजे अपराह तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है एवं निर्धारित वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

यह कि निविदा सम्बन्धित परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. कार्यालय में खोलने की दिनांक 02.07.2020 प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई। जिसे संशोधित कर दिनांक 09.07.2020 तक विस्तारित किया गया, दिनांक 09.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे निविदा को खोला गया। यह कि निविदा सूचना में वर्णित सभी औपचारिकता पूर्ण कर कुल 9 निविदा कर्ताओं द्वारा निविदा अपलोड की गई। सभी निविदाकर्ताओं के दस्तावेजों का तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किया गया, मात्र एक निविदाकर्ता मैसर्स गणेश रसिया कस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निविदा की शर्त संख्या 3 के अनुरूप पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत नही करने के कारण निविदा स्वीकार नही की गई, शेष 8 निविदा कर्ताओं को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया।

यह कि दिनांक 10.07.2020 को वित्तीय निविदा खोली गई। समिति के निर्णय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया। जिसमें अपीलान्ट की दर उच्चतम होने के आधार पर निविदा को स्वीकार किया जाकर सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 07.08.2020 को लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी किया गया।

यह कि अपीलान्ट द्वारा लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स के विरूद्व प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत धारा 38 में यह अपील दिनांक 14.08.2020 को निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है :–

यह कि अपीलान्ट द्वारा प्री बिड मिटिंग ना होने के कारण प्रबन्ध निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. को पत्र दिनांक 7.07.2020 से यह जानना चाहा कि वर्तमान संचालित टोलों पर कोविड– 19 के सन्दर्भ में आदेश दिनाक 05.06.2020 द्वारा टोल संग्रहण में प्रदत्त 20 प्रतिशत की छूट जों कि दिनाक 07.09.2020 तक प्रभावी है, एवं आगे भी रिव्यू किया जाना है, यह छूट इस निविदा पर प्रभावी रहेगी या नही एवं भविष्य में जो होता है वह लागू रहेगा या नही, का शीघ्र जवाब देने हेतु अनुरोध किया। तथा पुनः दिनांक 09.07.2020 को स्मरण पत्र जारी करते हुये दिनांक 05.06.2020 का आदेश वर्तमान निविदा पर प्रभावी रहेगा या नही, के स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया।

अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.07.2020 को ही पत्र द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि आदेश दिनांक 05.06.2020 में दी गई राहत इस निविदा पर प्रभावी है तभी अपीलान्ट की निविदा प्रपत्र को निविदा प्रक्रिया में शमिल किया जाये अन्यथा नही। परन्तु प्रतिपक्ष द्वारा अपीलान्ट के पत्र दिनांक 07.07.2020 का प्रतिउत्तर नही दिया गया एवं ना ही उनके पत्र. दिनांक 9.07.2020 को निविदा प्रक्रिया में शामिल किया गया। अपितु प्रतिपक्ष द्वारा अपीलान्ट की कन्डीशनल बिड को स्वीकार कर दिनाक 07.08.2020 को लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी कर दिया गया। अपीलान्ट का कथन है कि प्रतिपक्ष द्वारा जारी लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स दिनाक 07.08.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को 20 प्रतिशत छूट का लाभ प्रदत्त किया जायें।

प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक उदयपुर द्वारा अपील का जवाब दिनांक 31.08.2020 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा जारी आदेश दिनाक 05.06. 2020 जो कि पूर्व में जारी निविदाओ के आधार पर संचालित टोल रोड पर टोल संग्रहण के लिए निर्धारित किस्त में दी जाने वाली 20 प्रतिशत की छूट से सम्बन्धित है,इस आदेश का सम्बन्ध वर्तमान आंमत्रित निविदा से नही होने के कारण ही वर्णित आदेश को निविदा दस्तावेज में अपलोड नही किया गया हैं। एव ना ही अपीलान्ट द्वारा वांछित स्पष्टीकरण कि "कार्यालय आदेश दिनांक 05.06.2020 की छूट इस निविदा में प्रभावी है अथवा नही" से सम्बन्धित पत्र दिनाक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 को निविदा प्रपत्र के साथ डाउनलोड नही करने के कारण राजस्थान लोक उपापन अधिनियम एवं नियम के तहत विभाग द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नही समझा गया। प्रतिपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर द्वारा जारी आदेश दिनाक 07.08.2020 द्वारा कोविड– 19 के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में शनिवार रात्रि 9 बजे सोमवार प्रातः 5 बजे तक अस्थाई रूप से समस्त आवागमन एंव गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। जिसमें हाईवें बाईपास गुजरने वाले वाहन (निजि,व्यवसायिक,वाणिज्य) को प्रतिबन्धित नही किया गया।

यह कि प्रतिपक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलान्ट का यह कथन कि डाउनलोड की गई निविदा सशर्त थी, सही नही है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा निविदा प्रपत्र भरते समय 20 प्रतिशत छूट से सम्बन्धित कोई दस्तावेज निविदा के साथ डाउनलोड नही किया गया था।

यह है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.09.2020 को रिजोईन्डर भी प्रस्तुत किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी.– उदयपुर को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 16.09.2020 को सुना गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का मूलरूप से यह कथन है कि राजस्थान लोक उपापन अधिनियम की धारा 22 में निविदा पूर्व स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रावधान है इसी के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2020 जो कोविड– 19 के अन्तर्गत विभाग द्वारा टोल संग्रहण में दी जाने वाली 20 प्रतिशत की छूट से सम्बन्धित है, वर्तमान निविदा में प्रभावी रहेगी या नही एवं भविष्य में जो होता है, वह लागू रहेगा या नही का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। वांछित स्पष्टीकरण का जवाब अपीलान्ट को नही दिया गया, अपीलान्ट की बिड कन्डीशनल होते हुये भी अपीलान्ट को निविदा में वर्णित टोल रोड पर टोल संग्रहण के लिए सफल मानते हुए दिनांक 07.08.2020 को लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी किया गया।

अपीलान्ट का कथन है कि कोविड– 19 के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक 05.06.2020 की छूट अपीलान्ट को दिये बिना लेटर ऑफ असेपटेन्स जारी किया गया है, इसलिए उसे निरस्त किया जाये तथा प्रतिपक्ष को यह आदेशित किया जाये कि कोविड– 19 के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक 05.06.2020 से प्रदत्त छूट 20 प्रतिशत का लाभ अपीलान्ट को दिलाया जाये।

प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक– उदयपुर द्वारा यह कथन किया गया है कि विभागीय आदेश दिनांक 05.06.2020 जो कोविड– 19 के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक से पूर्व में संचालित टोल रोड पर लिए जाये जाने वाले टोंल किस्तों में दी जाने वाली अस्थाई 20 प्रतिशत छूट से सम्बधिन्त है, ना की वर्तमान में जारी निविदाओ पर। वर्तमान निविदा के लिए जारी निविदा दस्तावेज में कोविड– 19 से सम्बन्धित आदेश दिनांक 05.06.2020 को विभागीय वेंबसाईट पर अपलोड नही किया गया था, क्योकि यह आदेश भावी निविदाओं से सम्बन्धित नही था। अपीलान्ट द्वारा विभाग को दिया गया पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 के वांछित स्पष्टीकरण निविदा में अपलोड दस्तावेज से सम्बन्धित नही था, ना ही अपीलान्ट द्वारा उनके पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 को निविदा में डाउनलोड किया गया था, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण अपीलान्ट को दिया जाना नियम अनुकूल भी नही था।

यह है कि अपीलान्ट ने उनके पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 के सन्दर्भ में तकनीकी मूल्याकंन समिति के समक्ष दिनांक 09.07.2020 को एवं वित्तीय निविदा खोलते समय भी किसी भी प्रकार की आपत्ति समिति के समक्ष प्रदत्त नही कि, ना ही निविदा की प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रयत्न किया गया, ना ही इस क्रम में राजस्थान लोक उपापन, पारदर्शिता अधिनियम में प्रदत्त नियम 38 के तहत समक्ष प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर उक्त निविदा को निरस्त कराने का प्रयास किया। अपीलान्ट द्वारा सोच– समझ कर निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित किस्त में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से जारी लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स के विरूद्व यह अपील दायर की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिजोईन्डर तथा प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब एवं अभिलेख का अनुशीलन,अवलोकन व विवेचन किया गया, उभयपक्षकारान को सुना गया। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2020 जिसमे कोविड–19

के आधार पर पूर्व में संचालित टोल संग्रहण की मासिक किस्तों में 20 प्रतिशत की छूट से सम्बन्धित है, यह छूट भी अस्थाई रूप से दिनांक 08.06.2020 से 08.09.2020 तक दी गई है, इस आदेश का वर्तमान निविदा से सम्बन्ध नही होने कारण वर्तमान निविदा के साथ अपलोड भी नही किया गया है, एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानानुसार विभाग निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए मात्र ऐसे बिड दस्तावेजों का स्पष्टीकरण देने हेतु बाध्य है, जोकि निविदा दस्तावेज का हिस्सा हो। जबकि विभाग द्वारा जारी निविदा में विभागीय आदेश दिनांक 05.06.2020 अपलोड नही किया गया है, ना ही अपीलान्ट द्वारा डाउनलोड निविदा में उनके पत्र दिनांक 07.07.2020 एंव 09.07.2020 को डाउनलोड किया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शित अधिनियम 2013 की धारा 22 के अनुरूप अपीलान्ट के पत्र का स्पष्टीकरण नही दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल है। अपीलान्ट द्वारा उनके पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 के क्रम में तकनीकी बिड को खोलने के समय भी तकनीकी मूल्यांकन समिति एवं वित्तिय निविदा खोलते समय भी किसी प्रकार की आपत्ति नही की गई। तकनीकी निविदा एवं वित्तिय निविदा में समिति द्वारा लिये गये निर्णय को विभाग की वेवसाईट पर अपलोड भी किया गया था, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी, अपीलान्ट यदि चाहता तो यथा समय तकनीकी बिड एवं वित्तिय विड को निरस्त कराने के लिए राजस्थान लोक उपापन पारदर्शित अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता था, जबकि वर्तमान अपील अपीलान्ट को लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी करने के उपरान्त अर्थात् निविदा प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के उपरान्त दायर की है।

परियोजना निदेशक के स्तर पर वर्तमान निविदा के क्रम में लिए गये निर्णय,कार्यवाही या लोक कार्याकलाप एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबन्धों में किसी प्रकार का कोई उल्लंधन एवं लापरवाही नही बरती गई है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार निरस्त की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेगें।

**निर्णय आज दिंनाक 18/09/2020को जारी किया गया ।**

**प्रथम अपील प्राधिकारी ,**

(महाप्रबन्धक )

**आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।**